ईको वैन ट्रेक्टर से भिड़ी, 2 मरे, 6 घायल

जैन श्रद्धालुओं को लेकर जा रही थी वैन

नवभारत न्यूज

मुरैना, 10 अप्रैल। उत्तरप्रदेश के फिरोजाबाद जिले की टूंडला तहसील से जैन तीर्थ सोनागिर जा रहे श्रद्धालुओं से भरी ईको वैन को एनएच-44 पर सरायछौला थाने के पास विपरीत दिशा से आ रहे ट्रेक्टर ने टक्कर मार दी। हादसे में वैन में सवार दो महिलाओं की मुरैना एवं ग्वालियर में इलाज के दौरान मौत हो गई। जबकि वैन के ड्राईवर सहित 6 अन्य घायलों का इलाज चल रहा है। हादसा शुक्रवार की सुबह होना बताया गया है।

जानकारी के अनुसार फिरोजाबाद जिले की टूंडला तहसील के जारखी गांव निवासी जैन श्रद्धालु 10 अप्रैल की सुबह मारुति ईको वैन कार में सवार होकर टूंडला से मप्र के दतिया जिले में स्थित जैन तीर्थ सोनागिर जा रहे थे। श्रद्धालुओं से भरी ईको वैन एनएच-44 हाईवे पर जब सरायछौला थाना क्षेत्र से होकर गुजर रही थी। तभी पुलिस थाने के नजदीक ईको वैन की मुरैना से सरसों की फसल को बेचकर आ रहे ट्रेक्टर से आमने-सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में वैन के ड्राईवर प्रमोद 30 पुत्र पप्पू नि. मृगपुरा टूंडला जिला फिरोजाबाद सहित दीपा जैन 44 पत्नी दीपक कुमार जैन, प्रशांत जैन 30 पुत्र स्व. सुमित प्रकाश जैन, संतोष कुमारी 72 पत्नी सुमित प्रकाश जैन, अर्जित जैन 08 पुत्र प्रशांत जैन, प्रकाश जैन 35 पुत्र सुमित प्रकाश जैन, पुष्पा जैन 60 पत्नी निर्मल जैन, द्रव्य जैन 05 पुत्र प्रशांत जैन बुरी तरह जख्मी हो गए। सूचना मिलते ही सरायछौला पुलिस घटनास्थल पर पहुंचीं और सभी घायलों को एंबुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया। यहां इलाज के दौरान महिला श्रीमती संतोष कुमारी जैन 72 पत्नी स्व. सुमित प्रकाश जैन की मौत हो गई। जबकि पुष्पा जैन 60 पत्नी निर्मल जैन को गंभीर हालत में ग्वालियर रैफर किया गया। ग्वालियर में इलाज के दौरान जख्मी पुष्पा ने दम तोड़ दिया। अन्य घायलों का मुरैना जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। पुलिस ने ट्रेक्टर को जब्त कर ड्राईवर के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है।

भिड़ंत के बाद वैन में फंसे रह गए श्रद्धालु, खींचकर निकाले

ईको वैन और ट्रेक्टर की आमने-सामने हुई भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि वैन की बॉडी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। जिसकी वजह से उसमें सवार श्रद्धालु गाड़ी के अंदर ही फंस गए। हादसे के बाद घटनास्थल पर मची चीख-पुकार सुनकर वहां रहने वाले ग्रामीण मौके पर पहुंचें, तब तक पुलिस भी आ गई थी। ग्रामीणों के साथ मिलकर पुलिस ने जख्मी श्रद्धालुओं को वैन से बाहर निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया।

बाइक सवार युवक की मारपीट

मुरैना, 10 अप्रैल। चिन्नौनी पुलिस ने युवक की मारपीट का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि विकास सोनी 34 पुत्र मुन्ना सोनी नि. झुंडपुरा 9 अप्रैल को बाइक पर सवार होकर जा रहा था। इसी दौरान साइड न देने पर रामकुमार रावत, नरेन्द्र रावत, धारा रावत नि. लाड़पुरा ने विकास की मारपीट कर जान से मारने की धमकी भी दी।

महिला से मारपीट का मामला दर्ज

मुरैना, 10 अप्रैल। दिमनी थाना क्षेत्र के ग्राम सिरमिती निवासी महिला रीनू मौर्य 35 पत्नी संजय मौर्य की 8 अप्रैल को उसकी सास इंद्रा, पति संजय, ससुर अशोक मौर्य ने गालियां देते हुए मारपीट कर डाली। रीनू की रिपोर्ट पर पुलिस ने मारपीट की धाराओं में केस दर्ज कर लिया है।

शासकीय भूमि पर कब्जा कर बनाए पिलर हटाए

जौरा एसडीएम के नेतृत्व में पगारा रोड पर हुई कार्रवाई

नवभारत न्यूज

मुरैना/जौरा, 10 अप्रैल। पगारा रोड पर सुभाष स्कूल के पास स्थित करीब 6 हजार वर्गफीट शासकीय भूमि पर कब्जा कर कांक्रीट के पिलर बनाने वाले अतिक्रमणकारी के विरुद्ध 10 अप्रैल को प्रशासन की टीम ने कार्रवाई की।

पुजारी बाबा किशनदास महाराज की ओर से राजस्व अधिकारियों को शासकीय भूमि के सर्वे क्रं. 953 एवं 971 पर अवैध रूप से कब्जा किए जाने की शिकायत की गई थी। जिसके बाद राजस्व अधिकारियों ने अतिक्रमणकारी को नोटिस भेजकर कब्जा हटाने के आदेश दिए थे। लेकिन उसके द्वारा कब्जा नहीं हटाया गया। शुक्रवार को एसडीएम जौरा शुभम शर्मा, एसडीओपी नितिन बघेल के नेतृत्व में राजस्व एवं पुलिस विभाग की टीम पगारा रोड स्थित सुभाष स्कूल के पास पहुंचीं। यहां शासकीय भूमि पर किए गए कब्जे को जमींदोज कर दिया। कार्रवाई में पटवारी विजय सिंह सिकरवार, मनोज शुक्ला, मानवेन्द्र सिंह, ओमप्रकाश उपाध्याय आदि शामिल थे।

खेल कबड्डी खेल महोत्सव का आयोजन 26 को

मुरैना, 10 अप्रैल। खेलों के प्रति समर्पित राष्ट्रीय संस्था क्रीड़ा भारती के तत्वावधान में कबड्डी के खेल कबड्डी को ओलम्पिक के मैदान तक पहुंचाने के लिए चलाए अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत राष्ट्रव्यापी स्तर पर खेल कबड्डी खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। मुरैना जिला इकाई द्वारा मुरैना तहसील स्तर के खिलाड़ियों के लिए आगामी 26 अप्रैल को खेल कबड्डी खेल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। आयोजन स्थानीय पुलिस परेड ग्राउण्ड पर प्रात: 7.30 बजे से होगा। जिसमें 10 से 14, 14 से 19, 19 से 35 और 35 साल से अधिक आयु वर्ग वाले महिला एवं पुरुष खिलाड़ियों के लिए कबड्डी स्पर्धा आयोजित होगी।

गाड़ी निकालने को लेकर युवक की मारपीट

मुरैना, 10 अप्रैल। कैलारस थाना क्षेत्र के ग्राम बाल्हैरा निवासी कालीचरण कुशवाह 18 पुत्र रामनाथ कुशवाह की 9 अप्रैल को गाड़ी निकालने को लेकर हुए विवाद में दीपक कुशवाह, रिंकू खान निवासीगण कैलारस ने मारपीट कर डाली। पुलिस ने कालीचरण की रिपोर्ट पर अपराध दर्ज कर लिया है।

ब्रेक लगाते ही डंपर में पीछे से ट्रक घुसा, ड्राइवर जख्मी

मुरैना, 10 अप्रैल। सरायछौला थाना क्षेत्र में 8 अप्रैल को एनएच-44 हाईवे पर तेज रफ्तार में जा रहे डंपर के ड्राईवर ने अचानक वाहन के ब्रेक लगा दिए। जिससे पीछे आ रहा ट्रक डंपर में पीछे जाकर घुस गया। हादसे में ट्रक का ड्राईवर रविशंकर 27 पुत्र मुन्नीलाल नि. उन्नाव उत्तरप्रदेश घायल हो गया। उसे जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। पुलिस ने डंपर चालक के विरुद्ध अपराध दर्ज किया है।

पुराने विवाद को लेकर महिला से मारपीट

मुरैना, 10 अप्रैल। रिठौरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कासिमपुरा निवासी महिला श्रीमती गुड्डी बानो 50 पत्नी मुंशी शाह की पुराने विवाद को लेकर वकील शाह, मीना शाह नि. छत्रपुरा गोहद जिला भिंड ने गाली-गलौज करते हुए मारपीट की और जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है।

कसमढ़ा में हार-जीत का दांव लगा रहे 3 गिरफ्तार

मुरैना, 10 अप्रैल। महुआ थाना पुलिस ने 9 अप्रैल को कसमढ़ा गांव में ताश के पत्तों से हार-जीत का दांव लगा रहे देवेन्द्र, हरिओम, उपेन्द्र तोमर नि. ग्राम अझेड़ा को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके पास से नकदी 1930 रूपये और ताश की गड्डी जब्त कर जुआ एक्ट का मामला दर्ज कर लिया है।

युवक की मारपीट कर गाड़ी में तोड़फोड़, केस दर्ज

मुरैना, 10 अप्रैल। स्टेशन रोड थाना क्षेत्र के अंतर्गत 9 अप्रैल को भूपेन्द्र सिंह पुत्र बाबू सिंह गुर्जर नि. हीरामन मंदिर के पास नेकाड़ी मार्केट शिकारपुर रोड की गजेन्द्र गुर्जर, कुम्हेर सिंह, अरविंद, अर्जुन गुर्जर नि. शिवलाल का पुरा ने गाली-गलौज करते हुए मारपीट कर डाली। इस दौरान उनके द्वारा भूपेन्द्र की गाड़ी में तोड़फोड़ भी की। पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है।

ट्रेक्टर के ड्राइवर पर धारा-106 का मामला दर्ज

मुरैना, 10 अप्रैल। जौरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत विगत 23 मार्च को स्वराज ट्रेक्टर क्रमांक एमपी06-एसी-3457 के चालक ने एनएच-552 हाईवे पर मकूंदा के पास रामलखन त्यागी 42 पुत्र श्रीराम त्यागी नि. गैपरी को टक्कर मारकर जख्मी कर दिया था। रामलखन की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। मर्ग जांच के बाद पुलिस ने ट्रेक्टर के ड्राइवर के विरुद्ध बीएनएस की धारा-106 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है।

तीन जगहों पर डम्प मिला 24 लाख कीमती 1200 ट्रॉली रेत नष्ट कराया

कलेक्टर के निर्देश पर रेत उत्खनन के विरुद्ध कार्रवाई

नवभारत न्यूज

मुरैना, 10 अप्रैल। कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ की अध्यक्षता में गत दिवस आयोजित जिला टास्कफोर्स समिति की बैठक में अवैध रेत उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

इन निर्देशों के पालन में 10 अप्रैल को जिले के 2 अनुभागों में एसडीएम के नेतृत्व में एसएएफ, वन विभाग, पुलिस विभाग, खनिज विभाग एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीमों द्वारा कार्रवाई की गई। अनुभाग सबलगढ़ के अंतर्गत बरोठा स्थित चंबल नदी घाट पर लगभग 1000 ट्रॉली अवैध रेत का विनिष्टीकरण किया गया, जिसका अनुमानित बाजार मूल्य 20 लाख रुपये है। अनुभाग अम्बाह के थाना महुआ क्षेत्र अंतर्गत खुर्द घाट एवं करसेड़ी घाट पर कुल 200 ट्रॉली रेत का विनिष्टीकरण किया गया, जिसका अनुमानित बाजार मूल्य 4 लाख रुपये है।

दोनों अनुभागों में कुल 3 चंबल घाटों पर की गई कार्रवाई में लगभग 1200 ट्रॉली अवैध रेत का विनिष्टीकरण किया गया। जिसका कुल बाजार मूल्य 24 लाख रुपये आंका गया है।

शिक्षक-अध्यापक संयुक्त मोर्चा आज ब्लॉक स्तर पर देगा ज्ञापन

मुरैना, 10 अप्रैल। अध्यापक-शिक्षक संयुक्त मोर्चा के तत्वावधान में टीईटी परीक्षा अनिवार्यता के विरोध में एवं शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं एवं मांगों को लेकर मोर्चा के बैनर तले जिले के सभी ब्लॉकों पर मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपे जाएगें। मप्र शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष पवन सिंह परिहार ने बताया कि मुरैना तहसील मुख्यालय पर ज्ञापन सौंपने से पहले शिक्षक एवं अध्यापक पुलिस परेड ग्राउण्ड के नजदीक स्थित हनुमान मंदिर पर एकत्रित होंगे। यहां से रैली निकालते हुए वीआईपी रोड स्थित एसडीएम दफ्तर पहुंचेंगे। जहां प्रदर्शन करने के बाद एसडीएम को ज्ञापन सौंपा जाएगा। जिलाध्यक्ष श्री परिहार एवं संयुक्त मोर्चा के जिला संयोजक मुन्नालाल शर्मा ने शिक्षक एवं अध्यापकों से ज्ञापन कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है।

डिड़ोखर गांव में भूमि से हटाए कब्जे

नवभारत न्यूज

मुरैना/जौरा, 10 अप्रैल। तहसील जौरा के अंतर्गत डिड़ोखर गांव में शुक्रवार को राजस्व अमले ने आमरास्ते की जमीन से अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई की। जेसीबी मशीन की मदद से ग्रामीणों द्वारा सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जों को जमींदोज कर दिया गया।

बताना होगा कि शिकायतकर्ता रायसिंह ने जौरा तहसीलदार बालकृष्ण मिश्र को लिखित आवेदन देकर डिड़ोखर से गुर्जा जाने वाले आमरास्ते की भूमि पर दबंगों द्वारा अतिक्रमण किए जाने की शिकायत की गई थी जिसकी वजह से ग्रामीणों को आवागमन के लिए परेशानी आती थी। तहसीलदार श्री मिश्रा ने राजस्व अमले को आम रास्ते की भूमि से कब्जों को हटाने के निर्देश दिए। राजस्व निरीक्षक अजयशंकर शर्मा, पटवारी हर्षित दीक्षित, रहुल राठौर, प्रमोद तोमर की टीम पुलिस फोर्स और जेसीबी मशीन और ट्रेक्टर को साथ लेकर शुक्रवार को डिड़ोखर गांव में पहुंचीं। जहां टीम ने आम रास्ते पर किए अस्थाई एवं स्थाई अतिक्रमणों को नेस्तनाबूत कर दिया।

अपराधियों के हौंसले बुलंद, कानून व्यवस्था हुई ध्वस्त : राजेश

मुरैना, 10 अप्रैल। पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राजेश राठौर ने कहा है कि पुलिस, प्रशासन की निष्क्रियता की वजह से अपराधियों के हौंसले बुलंद है। लूट, चोरी, मारपीट, हत्या की घटनाएं लगातार घटित हो रहीं है। शहर सहित जिलेभर में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। श्री राठौर ने पुलिस, प्रशासन पर यह आरोप लगाते हुए 10 अप्रैल को सीएसपी दीपाली चंदौरिया को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं से आमजन में भय व असुरक्षा का माहौल है। श्री राठौर ने पुलिस अधीक्षक कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए मुरैना शहर में गश्त को बढ़ाए जाने और असामजिक तत्वों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने की मांग की है।

असमानता-अन्याय के विरुद्ध डॉ. अंबेडकर का संघर्ष प्रेरणादाई

अंबेडकर जयंती पर जौरा के सांदीपनि स्कूल में कार्यक्रम का शुभारंभ

नवभारत न्यूज

मुरैना/जौरा, 10 अप्रैल। डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती पर सांदीपनि स्कूल जौरा में 5 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ 10 अप्रैल को हुआ। इस मौके पर एसडीएम जौरा शुभम शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे।

कार्यक्रम में एसडीएम शुभम शर्मा ने कहा कि भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर सिर्फ एक नाम ही नहीं बल्कि एक क्रांतिकारी विचारधारा है। जिन्होंने शिक्षा को अपना हथियार बनाकर सामाजिक असमानता और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष किया। उनका यह संघर्ष प्रेरणादाई है। उन्होंने विद्यार्थियों को उनके आदर्शों को आत्मसात करने और जीवन में आगे बढ़ने का संदेश दिया। उन्होंने बताया कि 5 दिवसीय आयोजन के तहत रंगोली, चित्रकला, भाषण, वाद-विवाद सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पुरुस्कृत किया जाएगा। संस्था के प्राचार्य बैजनाथ त्यागी ने कहा कि डॉ. अम्बेडकर का जीवन हमें संघर्ष, संगठन और शिक्षा का मार्ग प्रशस्त करता है। उन्होंने विद्यार्थियों से समाज में फैली कुरीतियों को समाप्त कर समतामूलक, जागरूक और सशक्त भारत के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आव्हान किया।

-कार्यक्रम में इनकी रही उपस्थित : जनपद पहाड़गढ़ सीईओ महेन्द्र बौद्ध, जौरा जपं सीईओ कुलदीप श्रीवास्तव, बीआरसीसी राजीव सिंह जादौन, संकुल सह समन्वयक कौशल शर्मा, बीएसी जितेन्द्र जादौन, रामसेवक शर्मा सहित सांदीपनि विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाएं और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं कार्यक्रम में उपस्थित थे।

टीबी मुक्त भारत का निर्माण करने सक्रियता से कार्य करें : डॉ. सैमिल

सौ दिवसीय टीबी मुक्त अभियान को लेकर जौरा अस्पताल में बैठक आयोजित

नवभारत न्यूज

मुरैना/जौरा, 10 अप्रैल। टीबी मुक्त भारत एवं टीबी उन्मूलन के लिए चलाए जा रहे 100 दिवसीय भारत अभियान को लेकर 10 अप्रैल को सिविल हॉस्पीटल जौरा में बैठक का आयोजन हुआ। बैठक की अध्यक्षता सीबीएमओ डॉ. आरएस सैमिल ने की।

बैठक में स्वास्थ्यकर्मियों एवं अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं को अभियान की गाइडलाईन अनुसार कार्य किए जाने के लिए मार्गदर्शन दिया गया।

डॉ. सैमिल ने कहा कि अभियान को सफल बनाकर भारत को टीबी मुक्त बनाने के लिए हम सबको एकजुट होकर सक्रियता से कार्य करना होगा। बैठक में बीपीएम महेन्द्रपाल सिंह, बीसीएम श्रीमती मधु सेमल, भूपेन्द्र धाकड़, दिनेश पचौरी, रणवीर गोयल, रघुराज शर्मा, आईसीटीसी काउंसलर संदीप सेंगर, अलकेश राठौर एवं राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के काउंसलर पवन कुमार शर्मा सहित विभाग से नीरज गुप्ता, केदारनाथ शाक्य, दीपचंद कुशवाह, गौरव शर्मा आदि उपस्थित थे।

दो पिस्टल, एक कट्टा व कारतूस सहित दो बदमाश गिरफ्तार

कैलारस पुलिस की कार्रवाई, आर्म्स एक्ट की धाराओं में मामले दर्ज

नवभारत न्यूज

मुरैना, 10 अप्रैल। कैलारस पुलिस ने हथियारों के साथ वारदात को अंजाम देने की फिराक में खड़े 2 बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने बदमाशों के कब्से से दो देशी पिस्टल, एक 315 बोर कट्टा और एक जिंदा राउण्ड बरामद किए है।

जानकारी के अनुसार कैलारस थाना प्रभारी निरीक्षक सतेन्द्र कुशवाह को सूचना मिली कि एमएस रोड पर कैलारस रेलवे स्टेशन के नजदीक दो बदमाश हथियारों के साथ खड़े हुए है।

पुलिस ने बताए गए स्थान पर दविश देकर वहां से अशफाक उल हक 22 पुत्र फिरोज खान नि. पुराना जौरा और शाहिद 18 पुत्र जलालुद्दीन खान नि. पचबीघा, पंजाबी गली जौरा को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अशफाक के पास से 1 देशी पिस्टल, एक 315 बोर का लोडेड कट्टा जब्त किया, जबकि शाहिद के पास से एक देशी पिस्टल बरामद की। पुलिस ने बदमाशों के विरुद्ध आर्म्स एक्ट की धारा-25, 27 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है।

कार्रवाई करने वाली टीम में यह रहे शामिल

कार्रवाई में निरीक्षक सतेन्द्र सिंह कुशवाह, एसआई हिमांशु यादव, आरक्षक सतेन्द्र गुर्जर, राहुल सिकरवार, रवि यादव, बृजेश, विजयपाल, विष्णु जाट शामिल थे।

पार्षद ने नपाध्यक्ष पर लगाए आरोप वापस लिए

सबलगढ़, 10 अप्रैल। नगरपालिका परिषद सबलगढ़ की वार्ड 12 की पार्षद गुंजा जाटव पत्नी लक्ष्मण जाटव द्वारा दो दिन पहले सबलगढ़ थाने में आकर नगर पालिका अध्यक्ष सोनेराम धाकड़ के खिलाफ एक आवेदन दिया था जिसमें गुंजा जाटव ने नगरपालिका अध्यक्ष सोनेराम धाकड़ पर आरोप लगाया था कि 10 मार्च को मेरे पति लक्ष्मण जाटव को नगरपालिका अध्यक्ष सोनेराम धाकड़ ओर उनके पुत्र शैलेंद्र धाकड़ ओर उनके सहयोगी राजेश बंसल ओर कौशल बंसल द्वारा एक कमरे में बंद करके मेरे पति को डराया धमकाया गया ओर उनकी मारपीट की गई ओर उनसे कुछ कागजों पर जबरदस्ती हस्ताक्षर कराए गए मेरा झूठा शपथ पत्र बनाकर प्रशासन को गुमराह किया गया जाति सूचक गालिया दी गई इस आशय की शिकायत एस डी ओ पी एवम् थाना प्रभारी को आवेदन दिया गया था आज दोपहर को गुंजा जाटव पार्षद द्वारा थाने जाकर दो दिन पहले दिए गए आवेदन पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं चाहती है यह बात उन्होंने थाना प्रभारी को कहा है और में पड़ी लिखी नहीं हु मुझे नहीं मालूम कि आवेदन में क्या लिखा था पार्षदों ने जबरदस्ती मुझसे यह आवेदन दिलवाया था। जब इस संबंध में नगर पालिका अध्यक्ष सोनेराम धाकड़ से बात की गई तो उन्होंने कहा कि यह सब मेरी छवि को धूमिल करने के लिए सारा नाटक रचा गया था ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी आखिर सच्चाई सामने आ ही गई।

In The Court Of III Additional District and Session Judge, Ambah District Court, Morena

Presiding Officer : धीरेन्द्र सिंह मण्डलोई

आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत प्रकाशन हेतु

(RCA/0000005/2021)

रामलखन सिंह..........वादी

Vs

मलखान सिंह.......प्रतिवादी

Process id-/2026

पेशी दिनांक:- 12/05/2026

प्रेषिती- (1) तहसीलदार सिंह पिता हीरा सिंह पता-निवासी पोरसा, जिला मुरैना (म.प्र.) (2) भूरे सिंह पिता भगवान सिंह पता-निवासी पोरसा जिला मुरैना (म.प्र.)

यहकि, प्रार्थी **रामलखन सिंह** ने आपके विरुद्ध धारा 96 प्रक्रिया संहिता के लिए वाद संस्थित किया है, आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात/हाजिर होने के लिये सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते हैं, जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हों और जो इस वाद में संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में हैं पेश करें, जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मूजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक है तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावें।

यह आज तारीख **02 April 2026** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया है।

सील

न्यायाधीश
(धीरेन्द्र सिंह मण्डलोई)
तृतीय जिला न्यायाधीश अंबाह, जिला मुरैना (म.प्र.)

कृपया ध्यान दें:- 1. यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जाएगा।

डॉ. अंबेडकर जयंती समारोह पर विकासखंड हितग्राही सम्मेलन का आयोजन

नवभारत न्यूज

सबलगढ़, 9 अप्रैल। जनपद पंचायत सबलगढ़ द्वारा आज दिनांक 10 अप्रैल को जनपद पंचायत सभागार में डॉ वी आर अंबेडकर जयंती समारोह पर विकासखंड स्तरीय हितग्राही सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमे मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक सरला बृजेंद्र रावत रही कार्यक्रम की अध्यक्षता जनपद पंचायत अध्यक्ष सुनीता अतर सिंह रावत द्वारा की गई हितग्राही सम्मेलन में विशेष रूप से अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मेघा तिवारी भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रमोद सिंह जादौन पप्पन यादव सोनेराम रावत उपस्थित रहे हितग्राही सम्मेलन में पधारे हुए सभी अतिथियों का स्वागत जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ललित चौधरी द्वारा सभी का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया

कार्यक्रम का शुभारंभ सर्वप्रथम डॉ वी आर अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया विधायक सरला बृजेंद्र रावत द्वारा सभी हितग्राहियों को संबोधित करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा कई हितग्राही मूलक योजनाएं संचालित की जा रही है आप सभी उन योजनाओं का लाभ उठाएं ग्रामीण आजीविका के तहत कई कार्य संचालित किए जा रहे हैं अधिकारी कर्मचारी हित ग्राही मूलक योजनाओ का प्रचार प्रसार करें जिससे गरीब तबके तक यह हितग्राही मूलक योजनाएं पहुंचे ओर उनके जीवन में बदलाव आए

इस अवसर पर विधायक सरला बृजेंद्र रावत द्वारा करीब एक दर्जन हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया जिनमें दुर्गेश जाटव भैरो बाबा समूह दुर्गेश्वरी वाई जय दांगी बाबा समूह ममता जाटव विष्णु सहायता समूह ललिता मल्लाह रेनू बाई अन्नी जाटव रवीना बाई मीना वाई बाबुली बाई रजनी को हितग्राही मूलक योजनाओ से लाभान्वित किया हितग्राहीमूलक सम्मेलन को जनपद अध्यक्ष सुनीता अतर सिंह रावत एस डी एम मेघा तिवारी ने भी संबोधित किया जनपद पंचायत के सी ई ई ललित चौधरी ने सभी हितग्राहियों को संबोधित करते हुए कहा कि शासन द्वारा हितग्राहियों के लिए कई योजनाओं का संचालन किया गया है डॉ वी आर अंबेडकर जी की जयंती समारोह 10 अप्रैल से 14 अप्रैल तक मनाया जा रहा है वह संविधान निर्माता थे आज हम सभी उनको याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर उनको याद करे कार्यक्रम का संचालन लेखापाल रमेश यादव द्वारा किया गया कार्यक्रम में ए पी ओ के के बालोठिया एस डी सब इंजीनियर बी ई ओ बी आर सी न पा सी एम ओ एवं अन्य कर्मचारी हितग्राही उपस्थित रहे।

नाम परिवर्तन सूचना

आर्मी नं. 15712238एल, रैंक-हवलदार, **आशुतोष सिंह पुत्र रामगोपाल सिंह** निवासी लला का पुरा, तह. पोरसा, जिला मुरैना म.प्र. हाल निवासी-56 एपीओ, जोधपुर शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूं कि आर्मी रिकॉर्ड में मेरी पत्नी का नाम मंजू राजावत **(MANJU RAJABAT)** दर्ज है, जो गलत है, जबकि आधार कार्ड एवं स्कूल संबंधी रिकॉर्ड में मेरी पत्नी का नाम मंजू **(MANJU)** लिखा हुआ है, जो पूर्णत: सही है। यह कि मंजू (MANJU) और मंजू राजावत (MANJU RAJABAT) दोनों नाम एक ही महिला होकर मेरी पत्नी के नाम है। अतएव आर्मी रिकॉर्ड में मेरी पत्नी का नाम मंजू राजावत **(MANJU RAJABAT)** के स्थान पर मंजू **(MANJU)** दर्ज कर मान्य किया जावे।

सूचनाकर्ता - **आर्मी नं. 15712238एल,** रैंक-हवलदार, **आशुतोष सिंह पुत्र रामगोपाल सिंह निवासी**- लला का पुरा, तह. पोरसा, जिला मुरैना म.प्र. **हाल निवासी**-56 एपीओ, जोधपुर